



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 पौष 1942 (श0)

(सं0 पटना 57) पटना, मंगलवार, 19 जनवरी 2021

IE 08@vkjki&01&67@2017&347@lkoi0
lkeku; i:'kklu foHkkx

ldyi

7 tuojh 2021

श्री संतोष कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-619/2011, तत्कालीन जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, भोजपुर (आरा) सम्प्रति वरीय उप समाहर्ता, जमुई के विरुद्ध अनुशासनहीनता, कार्यों में लापरवाही एवं खाद्यान्नों को क्षतिग्रस्त कर आर्थिक क्षति पहुँचाने संबंधी आरोप प्रतिवेदित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाई का अनुरोध खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3944 दिनांक 10.08.2017 द्वारा किया गया।

2- उक्त के क्रम में विभागीय स्तर से आरोप पत्र (प्रपत्र-क) पुनर्गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक-13835 दिनांक 03.11.2017 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। परन्तु स्मारित करने के बावजूद श्री कुमार से स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा। फलतः सम्यक विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-569 दिनांक 15.01.2019 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17 (2) के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

3- संचालन पदाधिकारी, संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा पत्र (पत्रांक-594 दिनांक 03.04.2019) के माध्यम से विभाग को सूचित किया गया कि ^Mआरोपित पदाधिकारी ने पत्रांक-69 दिनांक 08.03.2019 द्वारा उन्हें सूचित किया है कि आरोप पत्र में दिनांक 14.04.2015 से 08.06.2015 तक उनको जिला प्रबंधक, भोजपुर (आरा) के पद पर पदस्थापित होने का उल्लेख किया गया है, जबकि वे जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, भोजपुर (आरा) तथा बेतिया के पद पर कभी पदस्थापित नहीं रहे हैं। वे उक्त अवधि में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, जमुई के पद पर पदस्थापित/कार्यरत थे।^{**} उक्त तथ्यों की सम्पुष्टि जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा किये जाने का उल्लेख भी संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने पत्र में किया गया।

4- वर्णित स्थिति में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त उक्त पत्र (पत्रांक-594 दिनांक 03.04.2019) की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-6365 दिनांक 10.05.2019 द्वारा आरोपित पदाधिकारी श्री संतोष कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-619/11 के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने के संबंध में मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन की माँग

की गयी। कतिपय स्मार तथा दो बार बैठक के उपरांत खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5877 दिनांक 13.07.2020 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ।

5- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन में अंकित है कि निगम के पत्रांक-5877 दिनांक 13.07.2020 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, भोजपुर के पद पर दिनांक 14.04.2015 से 08.06.2015 तक की अवधि में श्री संतोष कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-522/11 पदस्थापित रहे हैं। अतः पूर्व प्रेषित आरोप पत्र में अंकित श्री संतोष कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-619/11 के स्थान पर कोटि क्रमांक-522/11 संशोधित किया जाय। श्री संतोष कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-522/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, भोजपुर सम्प्रति कैमूर के विरुद्ध संशोधित आरोप पत्र गठित कर विधि सम्मत कार्रवाई हेतु खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया।

6- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त उक्त प्रतिवेदन के आलोक में पूरे मामले की समीक्षा की गयी। सम्यक विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है :-

- (i) श्री संतोष कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-619/11 के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-569 दिनांक 15.01.2019 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को वापस लिया जाता है।
- (ii) श्री संतोष कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-522/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, भोजपुर सम्प्रति कैमूर के विरुद्ध खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र के आधार पर नये सिरे से आरोप पत्र पुनर्गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई संचालित की जायेगी।
- (iii) आरोप पत्र गठन करने में निगम द्वारा हुई त्रुटि के लिए संबंधित कर्मियों/पदाधिकारियों के विरुद्ध आरोप गठित कर विभागीय कार्यवाही का संचालन खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा किया जायेगा।

vkn'kk&vkn'k fn;k tkrk g fd bl ldyi dh ifr fcgkj jkti= d vxy v l k/kkj.k v d e
idkf'kr fd;k tk; rFkk lHkh lcf/kr dk Hket nh tk;A

fcgkj&jkT;iky d vkn'k l
ek0 fl jkt lhu v l kjh
l jdkj d voj l fpoA

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 57-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>